कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक–24.07.2018 के द्वारा श्रीमती प्रतिभा पारीक, व्याख्याता हिन्दी, राउमावि भानपुरकलां, जयपुर का स्थानांतरण, राउमावि श्योपुर, जयपुर एवं श्री रमाकान्त शर्मा, व्याख्याता हिन्दी का स्थानांतरण राउमावि श्योपुर जयपुर से राउमावि भानपुरकलां जयपुर किया गया ।

उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध श्री रमाकान्त शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका सं. 16183 दायर की गई । माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण श्री रमाकान्त शर्मा के स्थानांतरण के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया । उक्त स्थगन आदेश की पालना में श्री रमाकान्त शर्मा द्वारा पुनः राउमावि श्योपुर जयपुर में कार्यग्रहण कर लिया । इस प्रकार राउमावि श्योपुर, जयपुर में दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो गयी ।विभाग में दोहरे पदस्थापन की स्थिति वाले व्याख्यताओं को दिनांक–10.01.2019 को इस कार्यालय में बुला कर वस्तुस्थिति एवं सम्बन्धित व्याख्याताओं के पक्ष को सुना गया ।

अतः राउमावि श्योपुर जयपुर में व्याख्याता हिन्दी का दोहरा पदस्थापन होने के कारण राज्य हित एवं छात्रहित में श्रीमती प्रतिभा पारीक व्याख्याता हिन्दी का समायोजन उनकी स्वयं की प्रार्थना के आधार पर राउमावि फतेहटीबा, जयपुर में व्याख्याता हिन्दी के रिक्त पद पर किया जाता है ।

(नथमल डिडेल)
आइ.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–7/स्थानांतरण/हिन्दी/2018 दिनांक– 11/01/2019

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित –

01. संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
02. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/ जि.शि.अ.(मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, विधि जयपुर
03. संबधित शाला–संस्था प्रधान/कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि शाला दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण सुनिश्चित करावें।
04. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
05. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा ।
06. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश कमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–7/नियुक्ति–हिन्दी/पीएससी–15/2017 दिनांक–28.08.2018 के द्वारा श्रीमती मनजीत कंवर का आरपीएससी–2015 के द्वारा चयनोपरान्त नियुक्ति प्रदान करते हुए पदस्थापन राउमावि बीजापुर पाली में व्याख्याता हिन्दी के पद पर किया गया। श्रीमती मनजीत कंवर तत्समय प्रसूति अवकाश पर होने के कारण इस कार्यालय के आदेश दिनांक–10.9.18 के द्वारा कार्यग्रहण अवधि दिनांक–27.10.18 तक बढाई गई।

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक–27.09.18 के द्वारा श्री ललित कुमार, व्याख्याता हिन्दी का स्थानांतरण राउमावि सुमेरपुर, पाली से राउमावि बीजापुर पाली किया गया। इस प्रकार राउमावि बीजापुर पाली में व्याख्याता हिन्दी के पद पर दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो गई।

विभाग में दोहरे पदस्थापन की स्थिति वाले व्याख्यताओं को दिनांक–10.01.2019 को इस कार्यालय में बुला कर वस्तुस्थिति एवं सम्बन्धित व्याख्याताओं के पक्ष को सुना गया।

राउमावि बीजापुर पाली में व्याख्याता हिन्दी के दो स्वीकृत पदों पर तीन कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में श्रीमती मनजीत कंवर के प्रोबेशन पर होने के कारण एवं श्री ललित कुमार के दिव्यांग होने के कारण राज्य हित व छात्र हित में राउमावि बीजापुर पाली में कार्यरत वरिष्ठतम श्री शंकर लाल व्याख्याता हिन्दी का समायोजन राउमावि फालना गांव–बाली, पाली में व्याख्याता हिन्दी के रिक्त पद पर किया जाता है। इन्हें यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

संबंधित संस्था प्रधान अविलम्ब कार्यमुक्ति कार्यग्रहण की कार्यवाही कर अवगत करावें।

(नथमल डिडेल)
आइ.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–7/स्थानांतरण/हिन्दी/2018 दिनांक– 11/01/2019

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित –

01 संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
02 संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/ जि.शि.अ. (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
03 संबधित शाला–संस्था प्रधान/कार्मिक शाला दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण सुनिश्चित करावें।
04 अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
05 निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर